2025/618

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

प्रकाशचन्द बनाम तहसीलदार धोद

किस्म मुकदमा 136 LR मु.नं. 309 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा – पत्र	
12/08/25	प्रार्थी प्रकाशचन्द पुत्र पन्नाराम जाति बलाई निवासी ग्राम गणेशपुरा तहसील धोद जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नाम को दुरूस्त करने के अनुसार वाके ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 77 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि प्रकाश पुत्र बिदामी दर्ज है, जो कि अशुद्ध है तथा ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 92 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि प्रकाश पुत्र बिदामी गोदूराम दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि प्रार्थी के नाम की सही प्रविष्ठि प्रकाशचन्द पुत्र पन्नाराम है। अर्थात् प्रार्थी के पिता का सही नाम पन्नाराम है। प्रार्थी के नाम से बने दस्तावेजात आदि की प्रस्तुत प्रतियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि में पिता का सही नाम पन्नाराम है, जो कि सही है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदियों में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठियां प्रकाश पुत्र बिदामी/प्रकाश पुत्र बिदामी गोदूराम के स्थान पर प्रकाशचन्द पुत्र पन्नाराम दुरूस्त किया जावें। प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/970 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना–पत्र अ.धा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावें। अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, धोद की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 77 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि प्रकाश पुत्र बिदामी के स्थान पर प्रकाशचन्द पुत्र पन्नाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का लोसल छोटी तहसील धोद जिला सीकर के खाता सं. (नया) 92 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थी के नाम की प्रविष्ठि प्रकाश पुत्र बिदामी गोदूराम के स्थान पर प्रकाशचन्द पुत्र पन्नाराम दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। पूर्व की प्रविष्ठि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, धोद के पत्रांकः भू.अ./2025/970 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा प्राप्त दुरूस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, धोद को लिखा जावें। आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible] तैयार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद ★ जिला–सीकर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.20 15:49:38 IST
Reason: SelfAttested